2021/457

फर्द अहकाम

सुधीन्द्रसिंह बनाम सरकार वगैरह

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर)

केस संख्या ....06..../2021 प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

क. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	9/9/21	प्रार्थी की ओर से अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 5424/4 रकबा 0.09 है 0 भूमि वाके ग्राम मनोहरपुर तहसील शाहपुरा में स्थित है जिसमें से उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा के आदेश कमांक 38 दिनांक 29.3.2005 के द्वारा 0.07 है0 भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन होने के बाद आबादी का अंकन तो हो चुका है लेकिन अलग नम्बर कायम नहीं किये गये। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि उक्त आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन का अलग से नम्बर कायम किया जाकर तरमीम की जावे। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश होने पर उप तहसीलदार मनोहरपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके मुताबिक आराजी ख0नं0 5424/4 का कुल रकबा 0.10 है0. होना तथा 0.01 है0 भूमि एन एच ए आई में जाने से रकबा 0.09 है0 रहा था एवं प्रार्थी के द्वारा दिनांक 29.3.2005 को आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाने पर एन एच 8 के लगती हुई 0.03 है0 भूमि आई आर सी के मापदण्ड अनुसार छोडकर भूमि रूपान्तरण की गई थी लेकिन नामान्तकरण दर्ज करते समय तरमीम नहीं की गई थी । हमने पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात तथा उपतहसीलदार मनोहरपुर के पत्र कमांक 2021/ 1993 दिनांक 17.8.2021 के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । आराजी खसरा नम्बर 5424/4 रकबा 0.10 है0 भूमि वाके ग्राम मनोहरपुर तहसील शाहपुरा राजस्व रिकार्ड जमाबन्द सं0 2065 से 2068 प्रार्थी व अन्य के खातेदारी में दर्ज है तथा 0.07 है0 भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन होने से आबादी में तथा 0.03 है0 भूमि बाराजी ए दर्ज है । उक्त 0.03 है0 भूमि में से 0.01 है0 भूमि एनएचएआई के खाते में दर्ज होने से प्रार्थी के नाम जमाबन्दी सं0 2074 से 2077 में आबादी में 0.07 है0 भूमि तथा 0.02 है0 बारानी ए खातेदारी में दर्ज है। एनएचएआई के खाते में दर्ज 0.01 है0 भूमि का नया नम्बर 5424/5 डालकर भूमि एनएचएआई के खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्व रिकार्ड में अंकन है। इस प्रकार प्रार्थी के नाम 0.07 है0 भूमि आबादी के साथ साथ 0.02 है0 भूमि खातेदारी बारानी ए दर्ज है जिसकी तरमीम नहीं होना राजस्व रिकार्ड से स्पष्ट प्रतीत होता है , जबकि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन के समय ही रूपान्तरित भूमि तथा रूपान्तरण से शेष रही 0.02 है0 भूमि का अलग नम्बर कायम किया जाकर राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जाना चाहिए था लेकिन राजस्व रिकार्ड में आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन व शेष भूमि का एक ही खसरा नम्बर रखा गया है । उप तहसीलदार मनोहरपुर ने अपनी रिपोर्ट के संलग्न भू0अ0निरीक्षक व हल्का पटवारी की रिपोर्ट में भी भूमि की तरमीम किये जाने की अनुशंषा की है, तथा रूपान्तरण से शेष रही भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी रहना जाहिर किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाकर उप तहसीलदार मनोहरपुर को आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 5424/4 रकबा 0.09 है0 भूमि में से 0.07 है0 आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन भूमि जो कि आई आर सी मापदण्डानुसार रोड सीमा छोड़कर रूपान्तरण की गई थी को ध्यान में रखते हुए अर्थात एन एच 8 की तरफ से 0.02 है0 भूमि को छोड़कर आबादी भूमि जिसका रकबा 0.07 है0 का राजस्व रिकार्ड में अलग नम्बर कायम कर तदानुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं शेष भूमि 0.02 है0 का अलग नम्बर कायम कर प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहरीर जारी हो । पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हों ।	

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर